

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री हरदेव सिंह व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि. अड़कसर, नागौर जन्म तिथि 01.01.1969 ने दिनांक 25.09.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.01.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री हरदेव सिंह व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि. अड़कसर, नागौर पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 01.01.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरदेव सिंह के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।




(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्व.से.नि./2015-16/2018/ दिनांक: 13/11/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) नागौर
6. प्रधानाचार्य, राउमावि. अड़कसर, नागौर
7. श्री हरदेव सिंह व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि. अड़कसर, नागौर (वरि0अ0 पद के वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष - 3046/1997-98)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रपत्र - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, संस्कृत को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र सं	नाम कार्मिक	विषय	विद्यालय का नाम	जन्मतिथि	से0नि0 तिथि
1	श्रीमती उषा बबेरवाल	संस्कृत	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीकर	21.0.1.1960	31.01.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षाराजस्थान,


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/सेवानिवृत्ति/संस्कृत/2019-20/80

दिनांक : 13/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरु।
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, सीकर
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
7. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीकर
8. श्रीमती उषा बबेरवाल व्याख्याता संस्कृत, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीकर
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर